**नर्सिंग होम निवासियों के अधिकार**

सन् 1987 का नर्सिंग होम सुधार क़ानून नर्सिंग होम निवासियों के निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण करता है:

**निम्नलिखित के बारे में पूर्ण सूचना का अधिकार**

* उपलब्ध सेवाएं और हर सेवा का मूल्य
* सुविधा के नियम-विनियम, निवासी अधिकारों की लिखित प्रति सहित
* राज्य के लोकपाल (ऑम्बुड्ज़्मैन) और राज्य की सर्वेक्षण एजेंसी का पता और टेलीफ़ोन नम्बर
* राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट और नर्सिंग होम की संशोधन योजना
* कमरों या कमरा-साथियों में परिवर्तन की अग्रिम योजनाएं
* यदि ज्ञानेंद्रिय दुर्बलता मौजूद हो तो सहायता
* निवासियों को ऐसी भाषा में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो वे समझते हों (स्पैनिश, ब्रेल आदि)

**शिकायत का अधिकार**

* कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख शिकायतें पेश करना, बदले की कार्रवाई के भय के बिना और उन शिकायतों के समाधान के लिए सुविधा द्वारा अविलम्ब प्रयासों के साथ
* लोकपाल कार्यक्रम के सम्मुख शिकायतें रखना
* राज्य की सर्वेक्षण और प्रमाणन एजेंसी में शिकायत दर्ज करना

**स्वयं अपनी देखभाल में भागीदारी का अधिकार**

* पर्याप्त और समुचित देखरेख प्राप्त करना
* चिकित्सीय स्थिति में सभी परिवर्तनों की सूचना प्राप्ति
* स्वयं अपने मूल्यांकन, देखभाल योजना, इलाज, और छुट्टी मिलने में हिस्सा लेना
* दवा और इलाज से इंकार
* रासायनिक और शारीरिक प्रतिबंधकों से इंकार
* स्वयं अपने चिकित्सीय रिकार्ड का पुनरीक्षण
* मैडीकैड या मैडीकेयर के दायरे में आने वाली सेवाओं के शुल्क से मुक्ति

**एकांतता और गोपनीयता का अधिकार**

* अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ निजी और बेरोक संचार
* इलाज और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के दौरान
* चिकित्सीय, व्यक्तिगत, या वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में

**स्थानांतरण और विमुक्ति के दौरान अधिकार**

* नर्सिंग सुविधा में बने रहना जब तक कि स्थानांतरण या विमुक्ति:

 (क) निवासी के कल्याण के लिए आवश्यक न हो

 (ख) इसलिए उचित हो क्योंकि निवासी का स्वास्थ्य सुधर गया है और उसे अब नर्सिंग होम में देखभाल की

 ज़रूरत नहीं है

 (ग) अन्य निवासियों या कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की हिफ़ाज़त के लिए ज़रूरी हो

 (घ) इसलिए आवश्यक हो क्योंकि यथोचित नोटिस के बाद भी निवासी ने ऐसी वस्तु या सेवा के लिए सुविधा को

 शुल्क अदा नहीं किया है जो निवासी के अनुरोध पर उसे उपलब्ध कराई गई थी

* स्थानांतरण या विमुक्ति के बारे में तीस-दिन का ऐसा नोटिस दिया जाना जिसमें कारण, प्रभावी तारीख़, और निवासी को स्थानांतरण या विमुक्ति के बाद जिस स्थान पर भेजा जायेगा उसका विवरण, अपील का अधिकार, और राज्य के दीर्ध-कालिक देखभाल सम्बंधी लोकपाल का नाम पता और टेलीफ़ोन नम्बर शामिल हो
* नर्सिंग होम द्वारा पर्याप्त तैयारी के ज़रिये सुरक्षित स्थानांतरण या विमुक्ति

**मान-मर्यादा, आदर, और स्वतंत्रता का अधिकार**

* ध्यान पूर्वक, आदर, और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए
* मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड, अनैच्छिक एकांतता, और भौतिक तथा रासायनिक प्रतिबंधकों से मुक्त रहे
* आत्म निर्णय का
* अपनी चीज़ों की सुरक्षा का

**मिलने आ सकने का अधिकार**

* निवासी के व्यक्तिगत चिकित्सक और राज्य सर्वेक्षण एजेंसी तथा लोकपाल कार्यक्रमों के प्रतिनिधियों द्वारा
* रिश्तेदारों, मित्रों, और निवासी की पसंद के अन्य लोगों द्वारा
* स्वास्थ्य सम्बन्धी, सामाजिक, क़ानूनी, या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संगठनों या लोगों द्वारा
* निवासियों को मिलने आने वालों को मना करने का भी अधिकार है

**स्वतंत्र चयनों का अधिकार**

* क्या पहनें और ख़ाली समय कैसे व्यतीत करें इस तरह के व्यक्तिगत निर्णय लेने का
* व्यक्ति की ज़रूरतों और पसन्दों का यथोचित ध्यान रखा जाना
* चिकित्सक चुनना
* नर्सिंग होम के भीतर और बाहर दोनों जगह सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना
* निवासी परिषद गठित करना और उसमें भाग लेना
* स्वयं अपने वित्तीय मामलों का प्रबन्ध

©**2003 नर्सिंग होम सुधार के लिए राष्ट्रीय नागरिक सहमिलन, 1828 एल स्ट्रीट, एन डब्ल्यू, स्वीट 801, वॉशिंग्टन, डीसी 20036.**

 फ़ोन: 202.332.2275, फ़ैक्स: 202.332.2949, ई-मेल: infor@theconsumervoice.org, वेबसाइट : www.theconsumervoice.org

 *एनसीसीएनएचआर एक लाभ-निरपेक्ष राष्ट्रीय सदस्यता संगठन है जिसकी अमेरिका के दीर्ध-कालिक देखभाल प्राप्त करने वाले निवासियों के अधिकारों, सुरक्षा,*

 *और मान-मर्यादा की हिफाजत के लिए सन् 1975 में एल्मा होल्डर द्वारा स्थापना की गयी थी.*